

Sir, NALCO has been exporting surplus alumina and earning foreign exchange for the country. NALCO could develop a stable market for the same, and has also developed shipment infrastructure at the Vishakapatnam Port, making huge capital investment. In such a situation, NALCO should not be pressurized to forego its export market for alumina except for the purpose of value addition in its own plant. Why is there such a proactive initiative to favour a company which is known to violate environmental laws?

In these days of break-neck competition, feeding the rival in the home market does not speak of business prudence; rather, such a decision to allow the Company to source its raw material from NALCO by NALCO itself would be sabotage to its natural competitive edge. The NALCO Board of Directors had a standing decision of not selling alumina produced by it in the domestic market. I believe, the Ministry must strongly stand by such a decision to retain the competitive strength of the Company.

Sir, I would urge upon the Government and the Minister of Mines to intervene and ensure that NALCO is not pressurized to sell its surplus alumina to its rival company in the home market instead of exporting the same.

**Demand to expedite the construction of Tanakpur-Pithoragarh National Highway and make proper arrangements for its maintenance**

**श्री महेन्द्र सिंह माहरा** (उत्तराखंड): महोदय, उत्तराखंड राज्य के टनकपुर-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग की लम्बाई 150 किलोमीटर है। 1963 से पहले इस मोटर मार्ग का निर्माण व रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता था। पिथौरागढ़ एक सीमान्त जनपद है। इसकी सीमाएं, नेपाल, तिब्बत, और चीन से मिलती हैं, जिससे इस मोटर मार्ग का महत्व और भी बढ़ जाता है। सामरिक दृष्टि एवं रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1963 के बाद इस मोटर मार्ग को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अपने अधीन ले लिया था। रक्षा मंत्रालय के अधीन डीजीबीआर (ग्रेफ) अब इस महत्वपूर्ण मोटर मार्ग के निर्माण और रख-रखाव का कार्य करता आ रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधीन रहते हुए भी इस मोटर मार्ग का निर्माण पूरा नहीं हो सका। वर्षा के मौसम में यह मोटर मार्ग कई-कई दिनों तक बंद रहता है और यहां कोई विमान सेवा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यहां पर रहने वाली जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग के बंद होने से जीवन रक्षक आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है और दैनिक उपभोग की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।

महोदय, चीन ने तिब्बत की राजधानी लहासा, जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां रेलगाड़ी पहुंचा दी है, परन्तु हमारे लोग 150 किलोमीटर सड़क का निर्माण 60 साल के बाद भी पूरा नहीं कर पाए हैं। केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने तीन-चार साल पहले से इस टनकपुर-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, परन्तु मार्ग का न तो ठीक से रख-रखाव हो रहा है और न ही निर्माण कार्य पूरे हुए हैं।

[श्री महेन्द्र सिंह माहरा]

महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि टनकपुर-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग, जो कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है, उसके समुचित रख-रखाव का उचित प्रबंध करते हुए मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि बरसात के दिनों में पिथौरागढ़ व चम्पावत जिलों की आठ लाख जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।

**Demand to improve the salary and service conditions of the staff employed in CSD canteens of the India Army**

**श्री वीर सिंह** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) की फुटकर विक्रेता कैटीनों तथाकथित यूनिट रन कैटीन्स (यूआरसी) में कार्यरत 10 हजार कर्मचारियों के भविष्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे देश में सीएसडी के कुल 35 डिपो स्थापित हैं, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और थोक में अपने द्वारा खरीदे गए सामान की बिक्री के लिए पूरे देश में स्थापित 3600 यूनिट रन कैटीनों पर आश्रित हैं। उनमें कार्यरत कर्मचारी दिन-रात अपना पसीना बहाकर वर्ष भर में लगभग 500 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करते हैं और इसका हिसाब सेना के अधिकारी किसी को भी देना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी नहीं देना चाहते हैं, जिसका उल्लेख महालेखा परीक्षक ने अपने वर्ष 2010-2011 के 14वें प्रतिवेदन तथा लोक-लेखा समिति ने 2011-2012 के अपने 48वें प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से किया है।

दूसरा, यूनिट द्वारा संचालित कैटीनों के कर्मचारियों को वर्तमान में सीएसडी में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों के बराबर भी वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि वे यूनिट रन कैटीन कर्मचारियों की सेवा-शर्तों नियमावली, 2003 से विनियमित हो रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह कैटीन कर्मचारियों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में सुधार कर, इन यूनिट रन कैटीन कर्मचारियों को न्याय दिलाये तथा इनकी सभी विसंगतियों को अविलम्ब दूर करे। जैसा लोक-लेखा समिति ने अपने 48वें प्रतिवेदन में कैटीन कर्मचारियों के वेतनमान एवं सेवा-शर्तों में सुधार हेतु सिफारिश की है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, Statutory Motion. Shri K. N. Balagopal. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, the Minister of State for Home Affairs, Mr. Mullappally Ramachandran\*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): It is not permitted. ...*(Interruptions)*... I do not allow you. ...*(Interruptions)*... If you want to make allegations against a Minister, there is a rule. ...*(Interruptions)*... You have to go by the rule. You cannot make an allegation in this way. ...*(Interruptions)*... It is not allowed. ...*(Interruptions)*... There is a rule for making an allegation.

---

\*Not recorded.